रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092024-256825
CG-DL-W-02092024-256825

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 25,— अगस्त 31, 2024, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1946
No. 31] NEW DELHI, AUGUST 25,— AUGUST 31, 2024, SATURDAY/BHADRA 3—BHADRA 9, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जनजातीय कार्य मंत्रालय
(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 120.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय में अन्वेषक के पद की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्वेषक के पद की (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) वे अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त (लागू) होंगे।

2. **प्रारंभिक संविधान**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले, नियमित आधार पर अन्वेषक के पदों को धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा और इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उक्त पद पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि के उद्देश्य को तय करने और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता तय करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**–उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान के रूप में वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे ।

4. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा और योग्यताएं, आदि**-उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** – व्यक्ति पात्र नहीं होगा, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दुसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति**–जहाँ केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति**–इन नियमों में से कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्वेषक	10* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी', अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय (गैर-लिपिकवर्गीय)	वेतन स्तर-6 (35400-112400/- रूपए)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पणी 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय है) **टिप्पणी 2:** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो.**
(7)	**(8)**	**(9)**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या नृवंश विज्ञान या सामाजिक नृवंश विज्ञान या अनुप्रयुक्त नृवंश विज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री। **नोट:** अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में शिथिलनीय है।	लागू नहीं	दो वर्ष **नोट:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**
(10)	**(11)**
सीधी भर्ती द्वारा **नोटः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर होने के कारण होने वाली रिक्तियों को मूल संवर्ग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले और कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं रखने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना क्या है:	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए**
(12)	**(13)**
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: (i) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव (स्थापना) या उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य; और (iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 20025/47/2022-एनसीएसटी]

आशीष कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Investigator in the National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Investigator (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—(1) The incumbents holding the posts of Investigator on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and the services rendered by them in the said post before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the purpose of period of probation and for deciding the eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix as pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4**. Method of recruitment, age limit and qualifications**, **etc.—**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule annexed thereto.

5. **Disqualification.—**No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Investigator	10* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay Level-6 (Rs.35400-112400/-)	Not applicable	Not exceeding 30 years **Note 1:**Relaxable to Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Master Degree in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics) from a recognised University or Institute . **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No applicable	Two years **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for Successful completion of the probation as specified by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre and having educational and other qualifications as prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of : (i)Director or Deputy Secretary(Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Chairman; (ii)Under Secretary(Establishment) or Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes – Member; and (iii)Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 20025/47/2022-NCST]

ASHISH KUMAR AGRAWAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.09.02 14:12:30 +05'30'